निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 82/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

रिलायन्स एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि॰

रजिस्टर पता–सिलायन्स सेन्टर 6ठी, मंजिल, नोर्थ विंग वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, शान्ताकुज (वेस्ट) मुम्बई एवं ए–13,/1, 6ठी फलोर, सनेर्जी टावर सैक्टर–62, नोएडा श्री विपिन कुमार मीना, एसाइन्मेन्ट मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि॰

प्रार्थी

बनाम

1. राजेश कुमार भंवर लाल सोनी
2. संतोष राजेश कुमार सोनी
   पता– 36–ए, श्रीराम नगर विस्तार, 100 फिट रोड, कालवाड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1. प्रतिनिधि प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. श्री पंकज खन्ना अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश दिनांक 11.11.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संस्था मैर्सस जी ई कन्ट्रीवाईड कन्जूमर फाईनेंशियल सर्विस ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27 जनवरी 2005 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी राजेश कुमार सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ 36 ए, (KHA) श्रीराम नगर विस्तार 100 फिट रोड, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 2,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तत्पश्चात मैसर्स मैग्मा फिनकोर्प लि॰ (परिवर्तित नाम) द्वारा दिनांक 24.03.2017 को उक्त खाते का एसाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि॰ के मध्य हो गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

मजिस्ट्रेट
टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज खन्ना ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व आपत्ति पेश की ।

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 007/2008 दिनांक 14.02.2008 जारी किया गया है।

5. प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 के तहत प्रस्तु प्रार्थना पत्र को 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी ऋणी को प्रर्याप्त समय दिया जा चुका है। धारा 14 सरफेशी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी ऋणी की ओर से जो आपत्तियां उठाई गई है, उन पर सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 2,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 3,49,204/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी राजेश कुमार सोनी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लाट नं. 36 ए, (KHA) श्रीराम नगर विस्तार 100 फिट रोड, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

9. आदेश आज दिनांक 11.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/11/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर